भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2324

सोमवार, 3 अगस्त, 2026 / 12 श्रावण, 1948 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण

†2324.श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में केंद्रीय रूप से निगरानी की जाने वाली कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की जा रही है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, केंद्रीय सामाजिक-सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकृत असंगठित और गिग श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके चयन के मानदंड या पद्धति का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के तहत बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य आदि जैसे लाभों से कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने की कवरेज और जागरुकता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सरकार, देश भर में कामगारों की विभिन्न श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में पीएम-एसवाईएम योजना का शुभारभ किया गया था। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (केंद्र सरकार द्वारा अंशप्राप्त) के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55/- रुपये से 200/- रुपये के बीच है। इस योजना के तहत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है और समान समतुल्य राशि का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार स्वयं भी www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर नामांकन कर सकते हैं।

जारी.../-2

दिनांक 29.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में पीएम-एसवाईएम योजना के तहत 54 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के 6.32 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।

(ii) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई): एबी-पीएमजेएवाई एक स्वास्थ्य एश्योरेंश योजना है जो पात्र लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करती है। यह देश भर के पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने संबंधी व्यय को कवर करती है।

(iii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): पीएमजेजेबीवाई एक जीवन बीमा योजना है जो बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। यह किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। लाभार्थियों को एक वार्षिक प्रीमियम (वर्तमान में 436 रुपये प्रति वर्ष) का भुगतान करना होता है, जो उनके बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है।

(iv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जो बैंक या डाकघर खाते वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी निःशक्तता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1 लाख रुपये प्रदान करती है। लाभार्थियों को नाममात्र के वार्षिक प्रीमियम (वर्तमान में 20 रुपये प्रति वर्ष) का भुगतान करना होता है।

(v) बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खान कामगारों के लिए श्रम कल्याण योजना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं: श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम कल्याण संगठन औषधालयों, अस्पतालों, नैदानिक सेवाओं और उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खान कामगारों को स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण सेवाएं प्रदान करता है।

(vi) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू): पीएमएवाई-यू का उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन वर्टिकल्स के माध्यम से पात्र शहरी परिवारों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

(vii) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): पीएमएवाई-जी पात्र ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है, साथ ही स्वच्छता, बिजली, पेय-जल आदि के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण भी किया जाता है।

(viii) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम): डे-एनआरएलएम वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए गरीब ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है। यह मिशन संस्थागत सहायता के माध्यम से ऋण तक पहुंच और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करता है।

जारी.../-2

(ix) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि): पीएम स्वनिधि पात्र स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका में सहायता के लिए संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। यह योजना समय पर पुनर्भुगतान पर ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(x) विकसित भारत गारंटी फॉर- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी आरएएम (जी)]: वीबी-जी आरएएम (जी) का उद्देश्य श्रम-प्रधान विकासात्मक कार्यों के माध्यम से पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक का वार्षिक गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाना है।

अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के संबंध में कवरेज और जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:

(i) राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ/समयसमय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना।-
(ii) जागरूकता सृजित करने के लिए एसएमएस अभियान चलाना।
(iii) विभिन्न योजनाओं के तहत नामांकन के संबंध में राज्योंसंघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को / संबोधित करना।
(iv) राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान आयोजित करना।
(v) अपनी पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनात्मक सामग्री प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करता है, जिससे यह पहल अधिक सुलभ और आकर्षक बन सके।
